डा0 ऋचा सिंह
एसोसिएट प्रो0
हिन्दी विभाग
हरिश्चन्द्र स्ना0 महा0 वाराणसी

बोली–

- बोल–चाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते है। यह अंग्रेजी के डाइलेक्ट शब्द का हिन्दी पर्याय है। इसका क्षेत्र अत्यन्त छोटा होता है।

डा0 भोलानाथ तिवारी के शब्दों में–

''बोली किसी भाषा के एक जैसे सीमित क्षेत्रिय रूप को कहते हैं जो धनि रूप वाक्य गठन, अर्थ शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रिय रूप से भिन्न होता है। किन्तु इतना भी भिन्न नहीं होता कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ न सके। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वाले के उच्चारण, रूप–रचना, वाक्य, गठन, अर्थ, शब्द, समूह, मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण विभिन्नता नहीं होती।

- बोली प्रतिदिन बोली जाने वाली भाषा के रूप में रहती है। इसे घरेलू भाषा की भी संज्ञा दी जाती है। यह केवल बोलचाल तथा व्यवहार में आती है साहित्यिक नहीं होती और जब यह किसी साहित्यिक रूप को धारण करती है तो वह विभाषा कहलाने लगती है

इसके विपरीत कभी–कभी साहित्य में इसका प्रयोग होने पर भी वह बोली रहती है।

जैसे अवधि, ब्रज, भोजपुरी आदि।

- बोली भाष की छोटी इकाई है। इसका सम्बन्ध ग्राम या मंडल से है जिसमें व्यक्तिगत बोली की प्रधानता है इसमें घरेलू और देशज शब्द का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

विभाषा

- विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। इसमें साहित्यिक रचनाए भी प्राप्त होती है। जैसे हिन्दी की विभाषाएँ प्रचलित है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि, भोजपुरी आदि विभिन्न बोलियॉ राजनैतिक, सांस्कृतिक आधार पर वे अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए, विभाषा स्तर पर प्रचलित होने पर ही राजनीतिक, सांस्कृतिक गौरव के कारण भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। जैसे खड़ी बोली, मेरठ बिजनौर की विभाषा होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने के कारण राष्ट्रभाषा के करीब हैं।

भाषा और बोली में अंतर

- भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है तथा बोली का छोटा
- एक भाषा की या अन्तर्गत एक या अधिक बोलियॉ हो सकती है। इसके विपरीत भाषा बोली के अन्तर्गत नहीं आती
- बेली किसी भाषा से ही उत्पन्न होती हैं इस प्रकार भाषा बोली में माँ–बेटी का सम्बन्ध है।
- यदि दो व्यक्ति जिनका बोलना ध्वनि, रूप आदि की दृष्टि में एक नहीं है, किन्तु वे एक–दूसरे की बातें काफी समझ लेते हैं। तो उनकी बोलियॉ किसी एक भाषा की बोलियॉ है अर्थात् पारस्परिक बोधगम्यता किसी एक भाषा की कसौटी है।
- भााषा का मानक रूप होता है, किन्तु बोली का नहीं।
- भाषा, बोली की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित होती है।
- बोली बोलने वाले भी अपने क्षेत्र के लोगों से बोली का प्रयोग करते हैं किन्तु अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से भाषा का प्रयोग करते हैं।

भाषा तथा वाक्

- भाषा एक व्यवस्था है, जो किसी के सभी भाषियों के मस्तिष्क में भाषिक क्षमता के रूप में होती हैं। वाक उस भाषा–भाषी समाज के व्यक्ति द्वारा उस भाषा प्रयुक्त या व्यवहृत रूप है।
- भाषा की सत्ता मानसिक होती है, जबकि वाक की सत्ता भौतिक होती है। वास्तविक उच्चारण या लेखन के रूप में होती है।
- भाषा अमूर्त होती है इसकी तुलना में वाक मूर्त होता है। क्योंकि इसमें वाक अपना रूप ले लेता है।
- भाषा सामाजिक है व्यक्ति–निरपेक्ष किन्तु वाक व्यैक्तिक है। व्यक्ति–सापेक्ष
- वाक भाषा पर ही आधारित होती है किन्तु भाषा का पता वाक से ही चलता है। इस प्रकार दोनों सापेक्ष संकल्पनाएँ हैं।

मानक भाषा

एक भाषा क्षेत्र (जिसमें कई बोलियॉ हो) की कोई एक बोली मानक मान ली जाए और पूरे क्षेत्र में सम्बन्धित कार्यों के लिए इसका प्रयोग हो उसे मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं।

वह पूरे क्षेत्र के प्रमुखतः शिक्षित वर्ग के लोगों की शिक्षा, पत्र व्यवहार, समाचार, पत्रादि की भाषा हो जाति है। साहित्य आदि में भी प्रायः उसी का प्रयोग होता है।

मानक भाषा की विशेषताएँ

- वह बोली, विभाषा एवं मानक भाषा के स्तरों का पार कर जाती है तभी मानक रूप धारण करती है।
- उसकी किसी राज्य या देश की प्रतिनिधि भाषा होनी चाहिए।
- उसमें नवीन शब्द निर्माण तथा अन्य भाषाओं के शब्दों को समेटने की भी शक्ति हो। उसकी एक वैज्ञानिक लिपि भी हो।
- उसका अपना साहित्य भी हो।
- उसका सुनिश्चित व्याकरण हो जिसका रूप भी आदर्श हो।
- हिन्दी का मानकी करण वर्तमन में हमारी हिन्दी 'खड़ी–बोली ही है। पर यह परिनिष्ठित रूप में हमारे सामने है।
- पश्चि हिन्दी की खड़ी–बोली का साहित्यिक या मनकी कृत रूप ही पूरे देश में प्रचलित है।
- संस्कृत के शब्दों को संस्कृत के अनुसार ही रखना चाहिए। जैसे रि को ऋ के रूप में लिखना चाहिए।
- क्रिया शब्दों के साथ – ता ते ति आदि लिखने पर रेफ नहीं लगाना चाहिए और न ही बाद वाले शब्दों को आधा लिखना

चाहिए जैसे मिलता–चलता करता आदि दनमें क्रिया के साथ ता सीधा जुड़ गया है। (मिल + ता)

- जिन शब्दों की शिरोंरेखा के उपर मात्रा नहीं लगायी जाति वहॉ स्वर के गुणानुसार (ँ) और यदि मात्रा लगती हो तब (•) लगाया जाए।
- परसर्ग के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई कि उसे संज्ञा से अलग लिखा जाए और सर्वनाम से जोड़कर। जैसे राम ने, सीता ने तथा उसको, उनको आदि। राम संज्ञा है अतः उसमें न परसर्ग अलग से लिखा गया है जबकि उस सर्वनाम के साथ को परसर्ग उसमें जुड़ा है।

राज भाषा

- जब कोई भाषा अथवा विभाषा राज्य द्वारा अपने कार्यों के लिए स्वीकृत कर ली जाति है तो वह राजभाषा कहलाती है। भाषा एवं विभाषा ही राज भाषा बन सकती है।
- बोली में राज भाषा बनने की क्षमता नहीं होती।
- बोली में न एकरूपता होती रहती न उसकी कोई लिपि होती है राज भाषा एकरूपता एवं लिपि के अभाव में नहीं चल सकता।

डा0 द्वारिका प्रसाद सक्सेना–

''जो भाषा राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है उसे राज भाषा कहते हैं राजभाषा में केन्द्रिय एवं प्रान्तीय सरकारे अपने पत्र व्यवहार किया करते हैं सरकारी आदेश एवं आज्ञाएँ भी इसी भाषा में मुद्रित होते हैं। और केन्द्र एवं प्रदेशों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने का कार्य भी इसी भाषा के द्वारा होता है। राजभाषा सदैव देश में शाशनात्मक राज्य की स्थापना में बड़ी सहायता पहुॅचती है।''

- भारत में पहली संस्कृत राजभाषा रही फिर आभीरों की राजसत्ता स्थापित होने पर प्राकृत एवं अपभ्रंस भाषाएँ राजभाषा हो गयी फिर मुशलमानों के शाशन काल में फारसी को राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। फिर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होते ही अंग्रेजी ने यहॉ राजभाषा का स्थान ग्रहण कर लिया।
- भातर के स्वतन्त्र होते ही हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया आज भारत का अधिकांश राजकार्य हिन्दी के माध्यम से होता है। भारत विशाल राट्र है। यहॉ अनेक प्रदेश है। और सभी प्रदेशों की भाषाएँ पर्याप्त समृद्ध एवं विकसित है, परन्तु सभी प्रदेशों के साथ सम्पर्क

स्थापित करने के लिए केन्द्र ने हिन्दी को ही राजभाषा के रूप में ही स्वीकार किया है।

- राज भाषा उसी देश या प्रदेश की भाषा हो यह आवश्यक नहीं है, राजा अथवा शासक अपनी सुविधा की दृष्टि से ही किसी शासक भाषा अथवा विभाषा को राजभाषा बनाते हैं।